

08/05/2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन भय नकल जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 08/05/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

16/05/2024

पत्रावली पेश हुई P.30 साहब
राज: कार्य में व्यस्त होने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
22/05/24 को पेश की जावे

B.O.
[Signature]

22/05/2024

पत्रावली पेश हुई आग्रिक संघ द्वारा
न्यायिका कार्य स्थगित
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
30/5/2024 को पेश की जावे

B.O.
[Signature]

30/5/2024

पत्रावली पेश हुई आग्रिक संघ द्वारा
न्यायिका कार्य स्थगित कराने के
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
10/6/24 को पेश की जावे

B.O.
[Signature]

10/06/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित! परोजर सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने से इन्फार्म कर पत्रावली में No-objection प्रस्तुत किया वकील पार्टी ने आज ही वहस करने का निवेदन कर प्रा. पत्र धारा-128 पर वहस अंतिम सुनाई। पत्रावली का अवलोकन किया।

10/06/2024
[Signature]



Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी
के.डी.ए. वार्ड
मुकाम : रावतभाटा
बनाम..... भूमि धारी तहसीलदार
किस्म मुकदमा..... प्रमाण नं० २३ सन् २०२४

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>गया। प्रमाण धारा - 128 व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया व अनन किया गया वकील शर्मा द्वारा बहक के दौरान दी गई। दलीलों से हम संतुष्ट हैं। प्रार्थी का प्रमाण अन्तर्गत धारा - 128 आवत पत्रावली का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वकील शर्मा का प्रमाण स्वीकार योग्य पाये जाने के स्वीकार किया जाता है। प्रमाण धारा - 128 का निर्णय प्रत्येक के लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया पत्रावली फाइल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर शामिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)